ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय
प्रथम तल, प्लॉट सं.5,
सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुड़गांव-122001,
टेलि.सं.- 0124-4126285-86
फैक्स- 0124-4126574
ई-मेल- mbd@obc.co.in

Oriental Bank of Commerce
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
Merchant Banking Division, Corporate Office
1st Floor , Plot No.5,
Institutional Area, Sector - 32
Gurgaon -122001 (Haryana)
Tel.: 0124-4126285-86
Fax : 0124-4126574
E-mail: mbd@obc.co.in

HO/MBD/2018

02.06.2018

The Executive Director, **National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, 5th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	General Manager, Dept. of Corporate Services, **Bombay Stock Exchange Ltd.,** Phiroze Jeejeebhoy Towers,Mumbai-400001

Dear Sir/Madam,

Reg. Notice of 24th Annual General Meeting of the Bank and Book Closure

This is to inform that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Bank will be held on Friday, 29th June 2018 at 10.00 a.m. at the Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg (Opposite Army Hospital Research & Referral), New Delhi-110057.

In compliance of Regulation 42 of SEBI Listing Regulations read with Regulation 12 of Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **23rd June 2018 to 29th June 2018 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

Further, pursuant to Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Bank has provided its shareholders the option to exercise voting rights through remote e-voting provided by NSDL from **26th June 2018 (09.00 a.m.) to 28th June 2018 (05.00 p.m.)** w.r.t. business to be transacted at the AGM.

The cut-off date for Remote e-voting/voting at the venue of the meeting will be **Friday, 22nd June 2018.**

A copy of Notice of the Annual General Meeting is enclosed.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,

Company Secretary

Encl.: As Above

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

Oriental Bank of Commerce

24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

Notice for 24th Annual General Meeting

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के शेयरधारकों की 24वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार 29 जून, 2018 को प्रातः 10:00 बजे भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ), निर्यात भवन, राव तुला राम मार्ग (आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के सामने), नई दिल्ली-110057, में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण कारोबार

मद सं. 1: "31 मार्च, 2018 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार करना।"

विशेष कारोबार

मद सं. 2: एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से "अधिनियम" कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (अब से "योजना" कहा जाएगा) के साथ पठित, ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (अब से "ओबीसी विनियम" कहा जाएगा), किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियम सहित तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथा लागू तथा अनुमोदित, सहमत, अनुमत्य और स्वीकृत अन्य नियम / अधिसूचनाएं / परिपत्र / विनियमन / दिशा-निर्देश, यदि भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा / या इस संबंध में यथापेक्षित प्राधिकारी में से कोई हो, जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, बैंक के शेयरधारकों द्वारा सहमत हो, अब बैंक के निदेशक मंडल से सहमत माना जाएगा तथा जो सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 अब से सेबी आईसीडीआर विनियम कहा जाएगा तथा यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (अब से सेबी सूचीकरण विनियम कहा जाएगा) के अध्यधीन है, बैंक के शेयरधारकों को एतदद्वारा बैंक के निदेशक मण्डल (तत्पश्चात बोर्ड कहा गया है) जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा गठित कोई भी शामिल समिति और तत्पश्चात शक्तियों का उपयोग करते हुए जिसमें संकल्प द्वारा निहित शक्तियां भी शामिल हैं, के अनुसार भारत या देश से बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन हेतु आरक्षण / या निर्गम के उस भाग हेतु प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा व्यक्तियों पर लागू विधि मान्य वर्गों के लिए) ऑफर दस्तावेज़ / विवरणिका / और इसी प्रकार के किसी दस्तावेज़ द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या / और / या अधिमानी शेयर (आवर्ती हों या इक्विटी शेयर में परिवर्तनीय हों या न हों) जो समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, जिसमें अधिमानी शेयरों की श्रेणी को स्पष्ट किया गया हो, ऐसे अधिमानी शेयरों को प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, बेमियादी या प्रतिदेय, निर्गत होने वाले अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी की शर्तों या नियमों के अधीन जारी किए जा सकते हैं तथा अन्य अनुमत्य प्रतिभूतियां जो इक्विटी में परिवर्तनीय हैं या नहीं हैं को ₹3000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित), अधिनियम की धारा 3(2क) के अनुसार अथवा संशोधन, यदि कोई हो, के अनुसार बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी के अंदर होगी, जिसे भविष्य में अधिनियम के अनुरूप बनाया जाएगा, इस प्रकार निर्गत कर सकता है कि (भारत सरकार के दिशानिर्देश के

NOTICE

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Friday, 29th June 2018 at 10.00 a.m. at the Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg (Opposite Army Hospital Research & Referral), New Delhi-110057, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: "To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2018, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 2: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act"), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as "OBC Regulations") and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/ Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the "SEBI ICDR Regulations") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") as amended upto date, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, may be issued for an amount not exceeding ₹3000 crore (including share premium) which together with the existing paid-up capital of the Bank will be within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such manner that the Central

अनुसार) किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी के 52% से कम नहीं होगी और अधिक भागों में हुंडी भुगतान या प्रीमियम बाजार मूल्य पर रहे जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी और सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई), बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयर / बैंकों की प्रतिभूति में विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा उचित पाया जाता है, में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।"

'यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अधि-आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा होगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, अधिनियम सेबी आईसीडीआर विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीकों तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा / हामीदारों तथा / अन्य सलाहकारों या कोई अन्य से सलाह करते हुए नियम व शर्तों के अधीन मूल्य / मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों या कोई अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्ग-निर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हो या नहीं भी हो सकते हैं (और ऐसे मूल्य को सेबी आईसीडीआर के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।)"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों, अधिनियम के प्रावधानों, ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स विनियम के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 तथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) एवं ऐसे सभी आवश्यक प्राधिकारी (जिसे यहां सामूहिक रूप से "उपयुक्त प्राधिकारी" के रूप में कहा गया है) से प्राप्त आवश्यक अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं / या मंजूरी के अधीन, और ऐसी शर्तों के अधीन जो इनमें से किसी ने भी तय की हों जिसके अधीन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या स्वीकृति (तत्पश्चात औचित्यपूर्ण अनुमोदन के रूप में मान्य) के संबंध में, बोर्ड अपने सम्पूर्ण प्राधिकार से समय समय पर एक या अधिक भागों में निर्गम का इश्यू, ऑफर तथा आबंटन, इक्विटी शेयर या वारंट से इतर किसी भी प्रतिभूति जो बाद की तारीख में इक्विटी के साथ परिवर्तनीय या बदली जा सकती हों, इस प्रकार से निर्गत, प्रस्तावित व आबंटित कर सकता है, जिसमें बैंक में केंद्र सरकार का किसी भी समय इक्विटी कैपिटल 52% से कम न हो (भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार) और जो अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता, (क्यूआईबी) अर्हता प्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआईपी), जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों में चैप्टर VIII में वर्णित है, प्लेसमेंट दस्तावेज़ के माध्यम से / या इस प्रकार का कोई दस्तावेज़ / वचन/परिपत्र / ज्ञापन द्वारा किसी ऐसे मूल्य, शर्त, नियम के अनुसार जिसे उस समय पर व्याप्त कानूनों के अनुरूप अन्य विधिमान्य प्रावधानों या सेबी आईसीडीआर के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया गया हो।"

Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India), whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ other securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on Public Offer (FPO), Rights Issue, Qualified Institutions Placement, Private Placement or any other mode approved by GOI/RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, the SEBI ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank (at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations)."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the SEBI Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the OBC Regulations, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the equity capital of the Bank(as per the extant directive of Government of India), to Qualified Institutional Buyers (QIBs) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के चैप्टर VIII के अनुसरण में अर्हता प्राप्त संस्थागत संस्थान के मामले में:

क) सेबी आईसीडीआर के चैप्टर VIII के दायरे में ही अर्हता प्राप्त क्रेताओं को प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतया प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।

ख) सेबी आईसीडीआर विनियम के नियम 85 (1) के प्रावधान के अनुसरण में बैंक प्रस्तावित शेयरों को फ्लोर प्राइस के पांच प्रतिशत से अधिक बट्टे पर प्राधिकृत नहीं कर सकता है।

ग) प्रतिभूतियों के लिए फ्लोर प्राइस के निर्धारण की सुसंगत तिथि सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार तय की जाएगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को इश्यू, आबंटन तथा बोर्ड द्वारा सहमत सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित या अधिरोपित प्रस्ताव में किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति तथा प्राधिकार होगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों को, यदि कोई हों, एनआरआई, एफ़आईआई तथा / या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को इश्यू और आबंटन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर लागू कुल सीमा के अंतर्गत अधिनियम के अनुसार किया जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गत होने वाले नए इक्विटी शेयर ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स विनियम यथा संशोधित के अधीन होंगे एवं इन्हें हर तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप माना जाएगा और घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयर / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड एतदद्वारा सार्वजनिक ऑफर, राइट इश्यू, अर्हता संस्थागत प्लेसमेंट की शर्तें तय करने के लिए प्राधिकृत है जिसमें निवेशकों की वह श्रेणी जिनको प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, इश्यू का मूल्य, इश्यू का प्रीमियम मूल्य जिसके संबंध में बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी उचित हो, इस प्रकार के सभी कर्तव्य, कार्य, मामले और विषय के बारे में निर्णय लेने तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों के संबंध में अपने सम्पूर्ण विवेक से आवश्यक, उपयुक्त या अपेक्षित हो और ऑफर, इश्यू, आबंटन तथा इश्यू से प्राप्त होने वाली राशि को उपयोग से संबन्धित प्रश्नों, कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान करने के लिए अनुदेश देने या निर्देश देने तथा नियम व शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, अंतर, बदलाव, विलोपन, परिवर्धन को प्रभावी करने और लागू करने, जो यह अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित व उपयुक्त समझें, जिसके लिए सदस्यों से आगे अनुमोदन लेने की आवश्यकता न हो तथा इस संकल्प के द्वारा बैंक और मंडल को दी गई सभी या किसी शक्ति का प्रयोग मंडल द्वारा किया जा सकता है।"

'यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतदद्वारा बही संचालक (कों), अग्रणी प्रबन्धक (कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), जमाकर्ता(ओं), रजिस्ट्रार(रों), लेखा परीक्षक(कों), विधिक परामर्शदाताओं और इस प्रकार के सभी अभिकरणों जो ऐसे इक्विटी /अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों के निर्गम और इससे संबंधित कार्यों में शामिल हों या जुड़े हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और ऐसी सभी संस्थाओं व एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे अभिकरणों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि का कार्य-निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations

a) the allotment of securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of SEBI ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including Rules & Regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the OBC Regulations, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, rights issue, qualified institutions placement, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ other securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s), legal advisor and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

'यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए मंडल, बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और / या अन्य व्यक्तियों के साथ फार्म तथा इश्यू की शर्तों समेत निवेशकों के वर्ग जिन्हें शेयर / प्रतिभूतियां आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों / वारंट अधिकार / प्रतिभूतियों के भुगतान / रुपांतरण पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, भुगतान अवधि, इक्विटी शेयरों की संख्या/ अधिमानी शेयरों अथवा रुपांतरण या भुगतान पर अन्य प्रतिभूतियां या भुगतान या प्रतिभूतियों के रद्द, मूल्य, प्रीमियम या प्रतिभूतियों के निर्गम / रुपांतरण पर छूट, ब्याज दर, रुपांतरण अवधि, रिकार्ड तिथि तय करना अथवा बही बंदी और संबंधित आकस्मिक विषय, भारत में और /अथवा विदेश में एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने हेतु अपने पूर्ण विवेक में मंडल को अधिकृत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

'यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे इक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर / अन्य प्रतिभूतियां जो शेष रह गई हैं, उनके बारे में मंडल जैसा भी उचित समझे उनको विधिसम्मत तरीके से अपने पूर्ण विवेक से निपटा सकता है।"

'यह भी संकल्प किया जाता है कि संकल्प को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंडल को एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि ऐसे सभी प्रकार के कार्यों विलेखों, मामलों को अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी आवश्यक और उचित, विधिवत और वांछनीय समझे, करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और शेयरों / प्रतिभूतियों के निर्गम से संबन्धित प्रश्नों, कठिनाइयों, शंकाओं का समाधान करने तथा शेयरधारकों के अतिरिक्त परामर्श एवं अनुमोदन के बिना ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और विषय, सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों और लेखन को अंतिम रुप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें अपने पूर्ण विवेक से उपयुक्त, उचित अथवा अपेक्षित समझें अथवा अंतिम आशय तक यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है।"

'यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतदद्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक / (कों) या निदेशकों की समिति को प्रदत शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 12.05.2018

मुकेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मद संख्या - 2 से संबंधित व्याख्यात्मक कथन

व्याख्यात्मक कथन, जिसमें मद सं. 2 से संबंधित भौतिक तथ्य दिए गए हैं, निम्नलिखित हैं:

पूंजी जुटाने हेतु बैंक का कार्यक्रम

बासेल-III के अनुसार 31.03.2018 को टीयर-I 7.61%, (सीईटी-1 7.46%) और टीयर-II 2.89% सहित बैंक का सीआरएआर 10.50% था। बैंक की अधिकृत पूंजी ₹3000 करोड़ तथा प्रदत ईक्विटी शेयर पूंजी ₹632.77 करोड़ है। बासेल-III पूंजी विनियम के अनुपालन में निधियों की बढ़ती पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं बैंक की सामान्य कारोबार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने को लिए निधियां प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है। निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित पूंजी योजना के अनुसार, बैंक वर्ष 2018-19 के दौरान, फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) / राइट इश्यू / अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) अथवा मण्डल या बैंक के मण्डल की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity shares /preference shares/other securities are to be allotted, number of equity shares / preference shares/other securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of securities/exercise of warrants/redemption of securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/ preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the securities, the price, premium or discount on issue/conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares /preference shares/other securities as are not subscribed may be disposed of by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or in his absence to the Executive Director(s) or to the Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

By the order of the Board of Directors

Place: Gurugram
Date: 12.05.2018

Mukesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.2

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No.2 of the Notice is as given below:

Capital Raising Programme of the Bank

As per Basel III, Bank's CRAR as on 31st March 2018 was 10.50% with Tier I at 7.61% (CET1 being 7.46%) and Tier II at 2.89%. The Authorised Capital of the Bank is ₹3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank is ₹632.77 crore.In order to meet the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and to fund general business needs of the Bank, the Bank proposes to raise capital. As per the Capital Plan approved by the Board of Directors, the Bank intends to raise capital during FY 2018-19, amounting to ₹3000 crore (including share premium), subject to the ceiling of the Authorised Capital, through issue of shares in the form of Follow on Public Offer

इसी प्रकार के इश्यू के माध्यम से ₹3000 करोड़ की पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) जुटाना चाहता है, जो अधिकृत पूंजी की सीमा के अधीन होगा।

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 41 (4) के अनुपालन में शेयरधारकों के लिए किसी अन्य प्रतिभूति के निर्गम को अनुमोदित करना अनिवार्य है, यदि उन्हें समानुपाति आधार पर ऑफर नहीं किए गए हैं। यह संकल्प, यदि पारित हो जाता है, तो यह बैंक की ओर से मंडल को वर्तमान शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूति निर्गम एवं आबंटित करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

प्रस्तावित विशेष संकल्प निदेशक मंडल (बोर्ड) के शेयरधारकों से, पब्लिक आफर, राईट्स इश्यू, अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट अथवा ऐसे अन्य इश्यू, जिन्हें बाजार की स्थितियों, कानून व प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुरूप मण्डल अपने विवेकाधिकार से उचित समझे, बशर्ते इसे केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी का अनुमोदन तथा अन्य अनुमोदन प्राप्त हो और बैंक में भारत सरकार की किसी भी समय प्रदत्त शेयर पूंजी 52% से कम न हो (भारत सरकार के निर्देशानुसार), द्वारा इक्विटी शेयरों / वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों को बनाने, प्रस्ताव, इश्यू, आबंटन करने के लिए, बिना किसी अगले अनुमोदन के सदस्यों को प्राधिकृत करने की अनुमति चाहता है।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार क्यूआईपी के लिए संकल्प की वैधता 12 माह तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, यह विशेष संकल्प निदेशक मंडल को यह अधिकार देता है कि वह शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन लिए बिना सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत यथापरिभाषित अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों के साथ अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट लाए। क्यूआईपी निर्गम के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम, संगत तारीख से पूर्व 2 सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उसी श्रेणी के सूचीबद्ध शेयरों के अंतिम मूल्य को साप्ताहिक उच्च एवं निम्न मूल्य के औसत से कम मूल्य पर नहीं किया जा सकता है। "संगत तारीख" का तात्पर्य है उस बैठक की तारीख जब निदेशक मंडल या मंडल की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेता है। चूंकि प्रस्ताव के मूल्य आगे की तिथि के अलावा, निर्धारित नहीं किए जा सकते अतः जारी किए जाने वाले शेयरों / प्रतिभूतियों के मूल्य बताना संभव नहीं है। प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों व नियमों का निर्धारण सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों तथा हाम्मीदारों तथा अन्य एजेंसियों, जिनकी आवश्यकता हो, के परामर्श से वर्तमान बाजार दशाओं तथा अन्य नियामक अपेक्षाओं पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

आबंटित किए गए ईक्विटी शेयर सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

प्रस्ताव के अनुसार निर्गमित शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे।

इस उद्देश्य हेतु विशेष संकल्प द्वारा बैंक के शेयरधारकों से सहमति लेना अपेक्षित है।

बैंक के निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 2 में दिए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।

कोई भी निदेशक इस संकल्प में दिए गए प्रस्ताव से हितबद्ध अथवा संलिप्त नहीं है।

(FPO) / Rights Issue / Qualified Institutions Placement (QIP) or such other issue as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank.

Pursuant to Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security, if not offered to them on proportionate basis. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The proposed special resolution seeks the enabling authorization of the shareholders of the Bank to the Board of Directors (Board), without the need of any further approval from the Shareholders, to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares by way of Follow on Public offer, Rights Issue, Qualified Institutions Placement or such other issue as the Board may in its absolute discretion think fit depending upon market conditions, pursuant to applicable laws and guidelines and subject to approval of Central Government, Reserve Bank of India, SEBI and other required approvals and subject to the shareholding of Govt. of India not falling below 52% of the paid-up equity share capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India).

In terms of SEBI ICDR Regulations, the validity of the resolution is restricted to 12 months for QIP. The above Special Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutions Placement with Qualified Institutional Buyers under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations without seeking fresh approval from the shareholders. In case of a QIP issue, the issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares of the same class quoted on the stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of the shares/ securities to be issued. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other agencies as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank. The shares issued pursuant to the offering would be listed on the stock exchanges.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of shareholders by means of special resolution.

The Board of Directors of the Bank recommends the passing of the proposed resolution as set out in Item No.2 of the Notice.

None of the Directors is concerned or interested in the proposal contained in the Resolutions.

टिप्पणियां:-

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

इस बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार शेयरधारक बैंक की इस बैठक में भाग लेने और मत देने को लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध फॉर्म 'बी' पर न हो। प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु महाप्रबंधक (एमबीडी) को संबोधित प्रॉक्सी फार्म अर्थात् 22 जून, 2018 को शुक्रवार सायं 5.00 बजे (बैंक की कार्य समाप्ति) अथवा इससे पूर्व हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 स्थित प्रधान कार्यालय अथवा प्लॉट सं.5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001 स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई व्यक्ति किसी बैंक / निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं ले सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिसमें वह पारित किया गया है, द्वारा सत्यापित न कर दी गयी हो, 22 जून, 2018 शुक्रवार को बैंक के कार्य समय समाप्त होने से पहले अर्थात् 5.00 बजे सायं तक बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय (उपरलिखित) में जमा नहीं करा दी जाती।

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र-सह मतपत्र पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र नत्थी किया गया है। शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसमें उपलब्ध कराए गए स्थानों को भरें और हस्ताक्षर करें और इसे बैठक स्थल पर दे दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर "प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी हो, लिखेंगे। ऐसे प्रवेश पत्रों को मतपत्र प्राप्त करने के लिए जमा कर दिया जाएगा।

4. सदस्यों का रजिस्टर बन्द होना

24वीं वार्षिक आम बैठक हेतु बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही 23 जून, 2018 से 29 जून, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

5. मताधिकार

अधिनियम के अनुच्छेद 3(2E) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक उसको पास रखे शेयरों को संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा।

ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स विनियमों के विनियम 10 के अनुसार कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में, उसको एकमात्र शेयर धारक माना जाएगा।

उपरोक्त के अध्यधीन, शेयर धारक के रूप में शुक्रवार, 22 जून, 2018 (वार्षिक आम बैठक हेतु रिमोट ई-वोटिंग एवं मतपत्र के द्वारा मतदान दोनों को लिए शेयरधारकों को मताधिकार को निर्धारण हेतु कट ऑफ़ तिथि) तक अथवा उससे पहले पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक का उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर

NOTES:-

1. Appointment of Proxy

A shareholder entitled TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to the Annual Report and also available on the Bank's website. The proxy form addressed to General Manager (MBD), in order to be effective must be received at the Bank's Head Office situated at Harsha Bhawan, E Block, Connaught Place, New Delhi -110001 or its Corporate Office situated at Plot No.5, Sector 32, Institutional Area, Gurugram -122001 on or before 5.00 p.m. (closing hours of the Bank) of Friday, the 22nd June, 2018. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

2. Appointment of an Authorised Representative

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of any Bank/entity which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank (as given above) before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. of Friday, the 22nd June, 2018.

No person shall be appointed as a proxy / authorized representative who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.

3. Attendance Slip-Cum-Entry Pass-Cum-Ballot Paper Pass

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum Ballot Paper Pass is annexed. Shareholders/Proxy holders/ Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such entry passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper.

4. Closure of Register of Members

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 23rd June 2018 to 29th June 2018 (both days inclusive) for the purpose of the 24th Annual General Meeting.

5. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of **ten** percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the OBC Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder on or before Friday, 22nd June, 2018 (cut-off date for determining the voting rights of the shareholders both for remote e-voting and voting by Ballot Paper at the venue of the Annual General

हेतु एक मत होगा परंतु केंद्र सरकार के अलावा शेयर धारक कुल मताधिकार के **10%** का ही प्रयोग करने का पात्र होगा।

(i) इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान

I. सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम 2015, के विनियम 44 के अनुपालन में बैंक वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को दौरान प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान का अधिकार देने को लिए सहमत है और संव्यवहार ई-वोटिंग सेवाओं द्वारा किए जा सकते हैं। एजीएम आयोजन स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से (रिमोट ई-वोटिंग हेतु) मतदान करने की सुविधा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

II. मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा वार्षिक आम बैठक में रहेगी और बैठक में शामिल होने वाले ऐसे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं बैठक में मतपत्र द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

III. जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान किया हैं वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

IV. रिमोट ई-वोटिंग 26 जून, 2018 (प्रातः 9:00 बजे) से प्रारम्भ होकर 28 जून, 2018 को (सांय 5.00 बजे) समाप्त होगी, दोनों दिन शामिल। इस अवधि में 22 जून 2016 की अंतिम तिथि पर मूर्त या अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले बैंक सदस्य अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार एक प्रस्ताव पर मतदान कर लेने पर, सदस्य को इसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

V. रिमोट ई-वोटिंग हेतु प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार हैः-

क. यदि किसी सदस्य को एनएसडीएल से मेल प्राप्त होती है (ऐसे सदस्य जिनकी ईमेल आईडी बैंक/निक्षेपागार प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत है):

(i) अपनी क्लाइंट आईडी अथवा फोलियो सं.को पासवर्ड के रूप में प्रयोग कर ईमेल खोलें तथा पीडीएफ यथा; "रिमोट ई-वोटिंग पीडीएफ" फाइल खोलें। उक्त पीडीएफ फाइल में रिमोट ई-वोटिंग हेतु आपकी यूजर आईडी तथा पासवर्ड/पिन होंगे। कृपया ध्यान दें कि पासवर्ड एक प्रारम्भिक पासवर्ड है।

नोटः ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत शेयरधारकों को पीडीएफ फाइल रिमोट ई-वोटिंग पीडीएफ" प्राप्त नहीं होगी।

(ii) निम्नलिखित यूआरएल लिख कर इंटरनेट ब्राउजर चालू करें: https://www.evoting.nsdl.com/

(iii) शेयरहोल्डर लॉगइन पर क्लिक करें।

(iv) अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। लॉगइन पर क्लिक करें।

(v) पासवर्ड चेन्ज मेन्यू दिखेगा। न्यूनतम 8 अंकों/अक्षरों अथवा उनके मिश्रण से बने अपनी पसंद के किसी नए पासवर्ड से पासवर्ड को परिवर्तित करें। इस बात की प्रबल संस्तुति की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ सांझा ना करें और उसे गोपनीय रखने का भरसक ध्यान रखें।

(vi) रिमोट ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। रिमोट ई-वोटिंगः एक्टिव वोटिंग साइकिल्स पर क्लिक करें।

Meeting) shall have one vote for each share held by him subject to maximum of **10%** of the total voting rights other than the Central Government.

(I) Voting through Electronic Means

I. In compliance with provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Bank is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM) ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

II. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting through ballot paper.

III. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Annual General Meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The remote e-voting period commences on 26th June 2018 (9:00 a.m.) and ends on 28th June 2018 (5:00 p.m.) both days inclusive. During this period members' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22nd June, 2018, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

V. The process and manner for remote e-voting are as under:

A. In case a member receives an email from NSDL [for members whose email IDs are registered with the Bank / Depository Participants(s)]:

(i) Open email and open PDF file viz.; "remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.

*NOTE: Shareholders already registered with NSDL for e-voting will not receive the PDF file "*remote e-voting.pdf".

(ii) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/

(iii) Click on Shareholder - Login

(iv) Put your user ID and password. Click Login.

(v) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(vi) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.

(vii) "ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स" के "EVEN" को चुनें।

(viii) जैसा कि कास्ट वोट पेज खुल चुका है अब आप रिमोट ई-वोटिंग हेतु तैयार हैं।

(ix) उपयुक्त विकल्प का चयन कर मतदान करें और "सबमिट" करें तथा दिखाई देने पर "कनफर्म" पर क्लिक करें।

(x) पुष्टीकरण के पश्चात एक संदेश "वोट कास्ट सक्सेसफुली" प्रदर्शित होगा।

(xi) एक बार संकल्प पर मतदान करने के पश्चात् आपको उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

(xii) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एच.यू.एफ., एन.आर.आई. आदि के अतिरिक्त) को जरूरी मंडल का संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप में) वोट देने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के सत्यापित हस्ताक्षर नमूने के साथ, संवीक्षक को ई-मेल द्वारा amitguptacs@gmail.com को तथा evoting@nsdl.co.in को एक प्रति मार्क कर भेजेंगे।

ख. यदि किसी सदस्य को वार्षिक आम बैठक की सूचना की मूर्त प्रति प्राप्त होती है (ऐसे सदस्य जिनकी ईमेल आईडी बैंक / निक्षेपागार प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत नहीं हैं):-

(i) प्रारम्भिक पासवर्ड एक अलग ई-वोटिंग पत्र पर (निम्नलिखित प्रारूप में) वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रदान किया गया है।

EVEN (Remote e-voting Event Number)	USER ID	PASSWORD/PIN

(ii) कृपया मतदान करने हेतु क्रम सं.(ii) से क्रम सं.(xii) तक के सभी क्रमों का पालन करें।

VI. किसी प्रकार की जानकारी हेतु, आप सदस्यों हेतु अक्सर पूछे गए प्रश्नों (FAQs) तथा www.evoting.nsdl.com के डाऊनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों हेतु रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते है अथवा टोल फ्री 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं।

VII. यदि आप रिमोट ई-वोटिंग हेतु पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन का प्रयोग मतदान हेतु कर सकते हैं।

नोट: ऐसे शेयरधारक जिन्हें अपना यूजर विवरण/पासवर्ड याद नहीं है वे www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "फॉरगॉट यूजर डिटेल्स / पासवर्ड?" अथवा "फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड करें?" विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

यदि शेयरधारक डीमैट रूप में शेयरों को धारण कर रहे हैं, तो यूजर आईडी (डीपी आईडी+क्लाइंट आईडी) की मिश्रण होगी।

यदि शेयरधारक डीमैट रूप में शेयरों को धारण कर रहे हैं, तो यूजर आईडी (सम संख्या+फोलियो संख्या) की मिश्रण होगी।

VIII. आप अपनी मोबाइल संख्या और ई-मेल आईडी फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अद्यतित कर सकते हैं जिसे भविष्य में संपर्क हेतु प्रयोग में लाया जा सकेगा।

IX. सदस्यों का मताधिकार बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी अंशधारिता के अनुपात में होगा, जो 22 जून, 2018 की अंतिम तिथि को **केंद्र सरकार से इतर, कुल मताधिकार का अधिकतम 10% होगा।**

X. कोई व्यक्ति, जो नोटिस जारी होने के बाद बैंक का शेयर अर्जित करता है और बैंक का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि अर्थात 22

(vii) Select "EVEN" of "Oriental Bank of Commerce".

(viii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.

(ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

(x) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

(xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xii.) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to amitguptacs@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in

B. In case a Member receives physical copy of the Notice of Annual General Meeting [for members whose email IDs are not registered with the Bank/Depository Participants(s) or requesting physical copy] :

(i) Initial password is provided on the separate 'E-voting Sheet' (in the following format) annexed to the Annual Report:

EVEN (Remote e-voting Event Number)	USER ID	PASSWORD/PIN

(ii) Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

VI. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

VII. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.

NOTE: *Shareholders who forgot the User Details/Password can use "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on* ***www.evoting.nsdl.com****.*

In case Shareholders are holding shares in demat mode, USER-ID is the combination of (DP ID + Client ID).

In case Shareholders are holding shares in physical mode, USER-ID is the combination of (Even No. + Folio No).

VIII. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

IX. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank ***subject to maximum of 10% of total voting rights other than Central Government*** as on the cut-off date of 22nd June 2018.

X. Any person, who acquires shares of the Bank and become member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of

जून 2018 को शेयर धारण कर रहा है, तो evoting@nsdl.co.in अथवा बैंक के रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

हालांकि, अगर आप पहले से ही एनएसडीएल के साथ रिमोट ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 'फॉरगोट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड?' या 'फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड?' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं: 1800-222-990

XI. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने का अधिकार इस्तेमाल करने के बाद भी एक सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन वार्षिक आम बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

XII. एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों की सूची में अथवा निक्षेपागार द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में अंतिम तिथि तक दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा अथवा एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का हकदार होगा।

XIII. बैंक के सदस्यों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मतदान और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया का अंकेक्षण करने में सहायता करने के लिए श्री अमित गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी संख्या 4682) को अंकेक्षक नियुक्त किया गया है।

XIV. अध्यक्ष, वार्षिक आम बैठक में, जिन संकल्पों पर मतदान किया जाना है, उन पर चर्चा के अंत में, अंकेक्षक की सहायता से उन सभी सदस्यों को 'मतपत्र' द्वारा मतदान करने की अनुमति देंगे जो वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हैं किन्तु जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाकर मतदान नहीं किया है।

XV. अंकेक्षक वार्षिक आम बैठक में मतदान के समापन के बाद, पहले बैठक में डाले गए वोटों की गणना करेगा और इसके बाद कम से कम दो ऐसे गवाहों, जो बैंक में नियोजित नहीं हों, की उपस्थिति में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पड़े वोटों को खोलेगा और वार्षिक आम बैठक के समापन के 48 घंटों के भीतर पक्ष या विपक्ष में, यदि कोई हो, डाले कुल मतों की एक समेकित अंकेक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा।

XVI. अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद घोषित परिणामों को अंकेक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेब साइट www.obcindia.co.in एवं एनएसडीएल की वेब साइट पर डाला जाएगा। इन परिणामों को तत्काल एनएसई एवं बीएसई को भी अग्रसारित कर दिया जाएगा।

6. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10B के अनुसार, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2010-11 से संबंधित अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश जो बैंक के पास हैं, आईईपीएफ में 29.07.2018 को अंतरित करना देय है।

जिन शेयरधारकों को वर्ष 2010-11 हेतु लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है या जिन्होंने इसके लिए दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसका दावा करने के

the cut-off date i.e. 22nd June 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the Bank's Registrar, Link Intime India Pvt. Ltd. at delhi@linkintime.co.in.

However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using *"Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?"* option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

XI. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the Annual General Meeting.

XII. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.

XIII. Mr. Amit Gupta, Practising Company Secretary (C.P No. 4682) has been appointed for as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Bank to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

XIV. The Chairman shall, at the Annual General Meeting, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of Scrutinizer, by use of "Ballot Paper" to all those members who are present at the Annual General Meeting but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

XV. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make, not later than 48 hours of the conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

XVI. The Results along with the consolidated report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.obcindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the NSE and BSE.

6. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

As per the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013. The Unpaid / Unclaimed Dividend for the year 2010-11 lying with the Bank is due for transfer to IEPF on 29.07.2018.

The shareholders who have not received or claimed dividend for the year 2010-11 are requested to contact the Registrar & Share Transfer

लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें। दावा न किए जाने की स्थिति में, अप्रदत्त लाभांश खाते में शेष राशि आईईपीएफ में अंतरित कर दी जाएगी। बैंक ने संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक पत्र जारी किये हैं।

अन्य जानकारियां

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
- पते या ईमेल आईडी में परिवर्तन के लिए शेयरधारक कृपया शेयर अमूर्त रूप में होने की स्थिति में अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी को और मूर्त रूप में होने पर लिंक इनटाइम प्रा.लि. को परिवर्तन संबंधी सूचना दें।
- शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार / उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।
- कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं अपनी व्यवस्था करें।
- जिन शेयरधारकों के पास नामों के समान क्रम में, एक जैसे नामों में अथवा संयुक्त नामों में एक से अधिक फोलियो के शेयर मूर्त रूप में है, उनसे अनुरोध है कि वे इन्हें एक ही फोलियो में समेकित करने हेतु अपने शेयर सर्टिफिकेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. को भेजें।
- ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक या हमारे रजिस्ट्रार के पास ई-मेल आईडी पंजीकृत कराएं ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ईमेल द्वारा भेज सकें। ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर अमूर्त (डीमैट) रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपने ईमेल आईडी संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास पंजीकृत कराएं।
- यदि किसी सदस्य ने हार्ड प्रति की मांग नहीं की है, तो वित्त वर्ष 2017-18 की पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रॉनिक प्रति, जिसके साथ बैंक की 24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका बताया गया है, उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया जा रहा है जिनकी ई-मेल आईडी बैंक / डिपोजीटरी सहभागियों / आरटीए के पास सम्प्रेषण के प्रयोजन से पंजीकृत हैं। ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं उनको वित्त वर्ष 2017-18 की संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति, उपस्थिति पर्ची व प्रॉक्सी फार्म के साथ-साथ बैंक की 24वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस, जिसमें ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका बताया गया है, अनुमत्य मोड से भेजा जा रहा है।
- सदस्य कृपया यह भी नोट करें कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट https://www.obcindia.co.in पर डाऊनलोड हेतु उपलब्ध है। ई-रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी सदस्य पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियों को निःशुल्क पाने के लिए डाक अथवा बैंक के ई-मेल आईडीः mbd@obc.co.in या बैंक के आरटीए को delhi@linkintime.co.in पर ई-मेल द्वारा अनुरोध कर सकते हैं।

Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd for claiming the same. If not claimed, the balance remaining outstanding in the unpaid dividend account will be transferred to IEPF. The Bank has issued reminder letters to the concerned shareholders.

OTHER INFORMATION

- Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report and valid photo identity card to the meeting.
- For change of address or email id, shareholders are requested to notify change in address / email id to their respective Depository Participant in respect of holding shares in demat form and to Link Intime India Pvt. Ltd. in case of physical holding.
- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.
- Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd. *for consolidation into single folio.*
- The shareholders having shares in physical form are requested to register their email-ids with the Bank or our Registrar to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail. The shareholders holding shares in demat form are requested to register their email-ids with their respective Depository Participant for the above purpose.
- Electronic copy of the Full Annual Report of the Bank for FY 2017-18 inter alia containing Notice of the 24th Annual General Meeting indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/ Depository Participants(s)/RTA for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of Abridged Annual Report of the Bank for FY 2017-18 inter alia containing Notice of the 24th Annual General Meeting of the Bank indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent in the permitted mode.
- Members may also note that Full Annual Report of the Bank inter alia containing the notice of the AGM for FY 2017-18 will also be available on the Bank's website https://www.obcindia.co.in for download. Even after registering for e-communication, members can request for a hard copy of Full Annual Report, free of cost by post or by sending an email to the Bank's email id: mbd@obc.co.in or to Bank's RTA at delhi@linkintime.co.in.

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय: हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट संख्या 5, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122001

प्रॉक्सी फॉर्म 'बी'

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फ़ोलियो सं.	डीपी आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)	ग्राहक आईडी	
	(यदि शेयर अमूर्त हैं)	

मैं/हम _____

निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स का शेयरधारक होने के नाते, एतद् द्वारा श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को, अथवा उनकी अनुपस्थिति में , श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

को, दिनांक: शुक्रवार, 29 जून, 2018 को फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ), निर्यात भवन, राव तुला राम मार्ग (आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के सामने), नई दिल्ली -110057 में आयोजित होने वाली, **ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स** के शेयरधारकों की 24वीं वार्षिक आम बैठक में अथवा ऐसी स्थगित बैठक में, मेरी / हमारी ओर से प्रॉक्सी मतदान करने के लिए नियुक्त करते हैं।

दिनांक: _____ 2018 हस्ताक्षरित _____

रसीदी टिकट चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक / एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम: _____

पता: _____

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1.	प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरुरी है कि,	
	क)	व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या लिखित रुप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
	ख)	संयुक्त धारकों के मामले में, सदस्य रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रुप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
	ग)	किसी कॉरपोरेट निकाय के मामले में, सामान्य मोहर, यदि कोई है, के साथ उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाए या अन्यथा लिखित रुप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा फार्म बी में विधिवत् रूप से मुहर लगी हो।
2.	प्रॉक्सी की कोई लिखत, जिसमें शेयरधारक ने किसी भी कारण से हस्ताक्षर नहीं किया है और कोई टिप्पणी की है तो यह तभी वैध होगी जब यह किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) अथवा रजिस्ट्रार अथवा उप निबंधक बीमा अथवा अन्य किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।	
3.	प्रॉक्सी के साथ	
	क)	मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया अथवा
	ख)	नोटरी पब्लिक या किसी दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन से पहले अर्थात् शुक्रवार, 22 जून, 2018 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात सायं: 5:00 बजे तक या उसके पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय, अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
4.	कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह फॉर्म 'बी' में हो और उस पर विधिवत् मुहर न लगी हो।	
5.	बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिहस्तांतरणीय एवं अंतिम होगी।	
6.	यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रुप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई तो एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।	
7.	शेयरधारक, जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, वह उस वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रुप से मतदान करने हेतु अधिकृत नहीं होगा, जिस बैठक से ऐसे लिखत संबंधित हैं।	
8.	ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रुप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।	
9.	प्रॉक्सी फार्म में किसी भी प्रकार के संशोधन को विधिवत् रुप से प्रमाणित किया जाए।	

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM -122001

PROXY FORM 'B'

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No.	DP ID	
If shares are not dematerialized	Client ID	
	If shares are dematerialized	

I/We, _____

resident/s of _____ in the district of _____

in the State of _____ being a shareholder/shareholders of ORIENTAL BANK OF COMMERCE,

hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____

_____ in the district of _____

in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____

in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the 24th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of **ORIENTAL BANK OF COMMERCE** to be held on Friday , June 29th, 2018 at the Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg (Opposite Army Hospital Research & Referral), New Delhi-110057 and at any adjournment thereof.

Please affix Revenue Stamp

Signed this _____ day of _____ 2018.

Signature of the Proxy Signature of the first holder/sole holder

Name: _____

Address: _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1.	No instrument of proxy shall be valid unless,	
	a)	in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
	b)	in the case of joint holders, it shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
	c)	in the case of a body corporate, signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing and shall be in the Form B and duly stamped.
2.	An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his /her remark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce or any other Nationalised Bank.	
3.	The proxy together with	
	a.	the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
	b.	a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m. of Friday, 22nd June 2018.
4.	No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form B and duly stamped.	
5.	An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.	
6.	In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.	
7.	The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.	
8.	No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.	
9.	All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.	

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
प्रधान कार्यालय: हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट संख्या 5, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122001

उपस्थिति पर्ची
(बैठक स्थल पर प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी है)

दिनांक: 29 जून, 2018 **समय:10.00 बजे प्रातः** **स्थान : नई दिल्ली**

पंजीकृत फ़ोलियो सं.		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	
शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

मैं एतद् द्वारा दिनांक: 29 जून, 2018 को, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ),निर्यात भवन, राव तुला राम मार्ग (आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के सामने), नई दिल्ली -110057 में आयोजित बैंक की 24वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं ।

शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

.....

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
प्रधान कार्यालय: हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट संख्या 5, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122001

प्रवेश पास
(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

दिनांक: 29 जून, 2018 **समय: 10.00 बजे प्रातः** **स्थान : नई दिल्ली**

पंजीकृत फ़ोलियो सं.		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	
शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक स्थल पर प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र के साथ-साथ बैंक में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षरित, उपरोक्त उपस्थिति स्लिप प्रस्तुत करें। यद्यपि प्रवेश, सत्यापन / जांच के अधीन होगा, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-एंट्री-पास-सह -मतपत्र-पास मीटिंग हॉल के प्रवेश द्वार पर जारी नहीं किया जाएगा।

.....

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
प्रधान कार्यालय: हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट संख्या 5, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122001

(मतपत्र जारी करने के लिए मतदान काउंटर पर जमा करें)

पंजीकृत फ़ोलियो सं.		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं हैं)		(यदि शेयर अमूर्त हैं)	
शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001

CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM – 122001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date: June 29th, 2018 **Time: 10.00 a.m.** **Place: New Delhi**

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorised Representative present			

I hereby record my presence at the 24th Annual General Meeting of the Bank held on June 29th, 2018 at the Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg (Opposite Army Hospital Research & Referral), New Delhi-110057.

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative	

.....

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001

CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM – 122001

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date: June 29th, 2018 **Time: 10.00 a.m.** **Place: New Delhi**

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass-Cum- Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

.....

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001

CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM – 122001

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present			